

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कर्मोंक:- प.2 (सब)3462/आ.कृ./ग्रुप-9/

दिनाँक:

कार्यालय आदेश

श्री बत्तीलाल मीणा जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डौनसिटी में कार्यरत थे, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.08.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बत्तीलाल मीणा के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कर्मोंक:- प.2 (सब)3462/आ.कृ./ग्रुप-9/14445-52

दिनाँक: 13.03.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (ति0) भरतपुर।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद् करौली।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डौनसिटी।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- श्री बत्तीलाल मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(वि) हिण्डौनसिटी।
- 7- निजी पंजिका।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)